न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025/138 दर्ज तिथिः— 17.04.2025

1. जुंजाराम पुत्र चैनाराम
2. राणाराम पुत्र चैनाराम
3. हनुमानराम पुत्र चैनाराम
4. अमियोदेवी पत्नी चैनाराम

जाति माली निवासी पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. डालूराम पुत्र खेमाराम
2. नगाराम पुत्र खेमाराम
3. मांगाराम पुत्र खेमाराम
4. धुडीदेवी पत्नी खेमाराम
5. दिलीप पुत्र नरसिंगाराम
6. प्रकाश पुत्र नरसिंगाराम
7. तुलछीदेवी पत्नी नरसिंगाराम

जाति जाट निवासी माछरों की ढाणी, पटवार मण्डल पीपराली, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

8. खुमाराम पुत्र कनाराम
9. पेमाराम पुत्र वीरमाराम
10. अणसीदेवी पत्नी वगताराम
11. मीरो पत्नी पुरखा
12. मोटा पुत्र पुरखा
13. रूपा पुत्र पुरखा
14. राणाराम पुत्र वगताराम
15. रामा पुत्र मुल्ताना
16. सवाईराम पुत्र किशना
17. खेताराम पुत्र अमरराम
18. खुमाराम पुत्र हीराराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:25:58 IST
Reason: SelfAttested

19. चुतरा पुत्र पुरखा
20. चनणीदेवी पत्नी किशना
21. देवाराम पुत्र किशना
22. नेनू पत्नी नरसिंगा
23. भेरा पुत्र नरसिंगा

जाति जाट निवासी पीपराली पटवार मण्डल पीपराली, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

24. देराजराम पुत्र रावताराम
25. अमरा पुत्र विरधा
26. माना पुत्र प्रभू
27. मोहनीदेवी पत्नी केहराराम
28. हेमाराम पुत्र केहराराम
29. ईश्वरचन्द पुत्र रतनलाल
30. केसा पुत्र प्रभू
31. खंगारा पुत्र विरधा
32. गिरधारीराम पुत्र रतनलाल
33. घमण्डा पुत्र विरधा
34. जगदीश पुत्र केहराराम
35. तीजोदेवी पत्नी रतनलाल
36. भीयाराम पुत्र केहराराम

जाति मेघवाल निवासी पीपराली, पटवार मण्डल पीपराली, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

37. तुलछाराम पुत्र केसाराम फौत के कायम मुकाम वारीसान

37/1 पनाराम पुत्र तुलछाराम
37/2 घेवरराम पुत्र तुलछाराम
37/3 सुमेर पुत्र तुलछाराम
37/4 गणपत पुत्र तुलछाराम
37/5 इमरती पत्नी तुलछाराम

जाति सोनी निवासी पीपराली मण्डल पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

38. पुरखाराम पुत्र हरजीराम
39. राधा पुत्री अमरा
40. गुणेशाराम पुत्र देवाराम
41. गोमाराम पुत्र देवाराम
42. पदमो पत्नी देवाराम
43. वीरमाराम पुत्र देवाराम
44. रामेश्वर पुत्र देवाराम लाऔलाद फौत निकटतम वारीशान विप्रार्थी संख्या 40 से 43
45. चैनाराम पुत्र रावताराम फौत कायम मुकाम वारीशान प्रार्थीगण स्वयं, जाति माली निवासी पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:25:58 IST
Reason: SelfAttested

जूंजाराम बनाम डालूराम
2025/138
निर्णय दिनांकः–03.07.2025
............असल अप्रार्थीगण

46. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जिला बाड़मेर

.................तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 03.07.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 221/1/0.0486 है0, 222/1/0.2671 है0, 223/0.0243 है0, 225/0.0647 है0, 226/1/0.0486 है0, 227/0.5018 है0, 227/5/0.2428 है0, 621/1.3031 है0 मौजा पीपराली पटवार मण्डल पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 09.02.2024 की पालना में दिनांक 15.06.2024 को पटवारी हल्का पीपराली द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 221/1/0.0486 है0, 222/1/0.2671 है0, 223/0.0243 है0, 225/0.0647 है0, 226/1/0.0486 है0, 227/0.5018 है0, 227/5/0.2428 है0, 621/1.3031 है0 मौजा ग्राम पीपराली पटवार मण्डल पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर की पत्थरगढ़ी दिनांक 15.06.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:25:58 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 15.06.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries***.—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** - *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:25:58 IST
Reason: SelfAttested

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072–2075 ग्राम पीपराली में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम पीपराली के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 15.06.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा को मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है।

7. पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम पीपराली के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 15.06.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा को मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

कलक्टर
सत्यमेव जयते
गुड़ामालानी

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 221/1/0.0486 है0, 222/1/0.2671 है0, 223/0.0243 है0, 225/0.0647 है0, 226/1/0.0486 है0, 227/0.5018 है0, 227/5/0.2428 है0, 621/1.3031 है0 मौजा ग्राम पीपराली पटवार मण्डल पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:25:58 IST
Reason: SelfAttested

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 03.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:25:58 IST
Reason: SelfAttested